पत्र संख्या–वनभूमि–07/2016 1606 व0प0

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक

सुनील कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय राँची, बंगला नं0–A-2, श्यमाली कॉलोनी,
राँची–834002

राँची, दिनांक– 21/03/16

विषय :– मेदिनीनगर वन प्रमंडल अंतर्गत अमानत बराज से 90 कि0मी0 कैनाल निर्माण हेतु 127.85 हे0 वनभूमि अपयोजन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–174 दिनांक–10.02.2016 एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर का पत्रांक–706 दिनांक–03.03.2016 से प्राप्त प्रस्ताव मूल रूप में एवं प्रतिवेदन अनुलग्नक सहित आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

विषयक परियोजना के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित है–

(1) प्रस्तावित कैनाल निर्माण में कुल 127.85 हे0 अधिसूचित वनभूमि तथा 439.24 हे0 गैर वनभूमि सन्निहित है। नोडल पदाधिकारी ने प्रतिवेदित किया है कि प्रस्ताव में जंगल–झाड़ भूमि सन्निहित नही है।

(2) प्रस्तावित भूमि का Component wise break up निम्नवत् है–

Component wise break up

Sl No.	Component	Forest Land (ha)	Non -Forest Land (ha)
1.	Barrage and Camp	0	103.504
2.	Right Main Canal	127.85	284.105
3.	Distributory	0	51.633
	Total	**127.85**	**439.242**

(3) प्रस्तावित वनभूमि की विस्तृत विवरणी (PF wise/Plot wise/रकबावार) निम्नवत् है :–

Sl. No.	PF	Forest Land (ha)	Plot No.	Area in (ha)
1.	Sildiliya Khurd	6.51	31	2.32
			854	4.19
2.	Sildiliya Kala	2.39	45	0.97
			1305	1.42
3.	Gorwatand	10.8	43	6.66
			44	4.14

o/c

4.	Bajalpur	8.22	336	2.51
			1721	0.41
			1723	2.43
			43	2.87
5.	Panchrukhiya	7.85	176	7.85
6.	Lalgar	3.53	141	2.23
			3	1.3
7.	Dhuma	15.38	KRF	15.38
8.	Sewati	5.91	719	5.91
9.	Saraidih	6.87	20	6.31
			13	0.16
			39	0.16
			30	0.24
10.	Chilhoi	3.85	1	3.85
11.	Bhalugari	7.61	3	2.73
			4	4.88
12.	Tariyan	8.18	9	8.18
13.	Sonpurwa	5.69	79	4.89
			62	0.8
14.	Kanaudi	8.54	91	4.57
			92	3.97
15.	Boradah	7.2	14	2.46
			16	4.74
16.	Kararkala	0.49	1135	0.49
17.	Chetma	12.9	1214	1.1
			1215	0.89
			1218	0.77
			1234	0.12
			1234	0.57
			1236	0.4
			1237	3.16
			1238	0.16
			1255	1.42
			1317	0.12
			1318	0.12

			1321	0.32
			1322	2.3
			1323	0.89
			1324	0.28
18.	Imlikhas	5.93	1324	0.28
			1769	0.2
			1773	5.73
	Grand Total			**127.85**

(4) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विहित प्रपत्र Form-A Part-I में परियोजना से संबंधित विवरणी अंकित किया गया है।

(5) Justification for location of the forest area प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

(6) प्रस्ताव के साथ National Committee of Environment Planning की प्रति संलग्न है।

(7) वन प्रमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमंडल/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर/नोडल पदाधिकारी का मंतव्य/अनुशंसा क्रमशः Part-I, II, III एवं IV में प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

(8) 1:50,000 स्केल के टोपोशीट पर प्रस्तावित वनभूमि को रेखांकित किया गया है।

(9) प्रस्तावित वनभूमि का Geo-referenced map प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Upload किया गया है।

(10) प्रस्ताव के साथ लागत–लाभ विश्लेषण की hard copy संलग्न है, जिसकी प्रति प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Online Upload कर दिया गया है।

(11) FRA, 2006 के तहत् संबंधित दावा संबंधी प्रक्रिया पूर्ण करने की सूचना तथा तत्संबंधी उपायुक्त, पलामू द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

(12) क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित वनभूमि के विरूद्ध 323.57 एकड़ (131.00 हे0) उपलब्ध करायी गयी वनभूमि का विवरण एवं दस वर्षीय क्षतिपूरक वनरोपण योजना प्राक्कलन संलग्न है।

(13) प्रस्तावित वनभूमि पर अवस्थित वृक्षों की गणना सूची संलग्न है।

(14) क्षतिपूरक वनरोपण तथा NPV राशि का भुगतान करने की वचनबद्धता प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गयी है।

(15) अपयोजित होने वाली वनभूमि एवं क्षतिपूरक वनरोपण हेतु भूमि का कैडेस्ट्रल मानचित्र संलग्न है।

उक्त विषयक प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तो के साथ अनुशंसा की जाती है :–

(क) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।

(ख) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रस्तावित वनभूमि के NPV की राशि का भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण को करना होगा।

(ग) प्रस्तावित वनभूमि के के समतुल्य गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित कराया जायेगा तथा इस पर क्षतिपूरक वनरोपण की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।

(घ) अन्य मानक शर्तो का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

कृपया विषयक प्रस्ताव पर अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–वनभूमि–07 / 2016 1606 व0प0, राँची दिनांक– 21/03/16

प्रतिलिपि–सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली–110003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–वनभूमि–07 / 2016 1606 व0प0, राँची दिनांक– 21/03/16

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची / प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोड, झारखण्ड, राँची / कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, औरंगा कंस्ट्रक्शन डिवीजन, पांकी, कैम्प–मेदिनीनगर, पलामू–822101 को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

E/16-Vanbhumi Noting Letter-17 (*Mukesh*)

PART – V

(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Diversion of 127.85 ha of Forest Land for Construction of Canal from Amanat Barrage in Medininagar Forest Division.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for diversion of 127.85 ha of Forest Land with conditions as stated in the forwarding letter no. 1606 dated 21.03.2016.

Signature : [signature] 21/3/16

Name & Designation : Sunil Kumar
(Dy. Secretary)
Forest, Environment & Climate Change Department

उप सचिव
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
झारखण्ड, राँची

Date : 21·03·2016

Place : Ranchi

(Official Seal)

कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांक:– 174 दिनांक:– 10-2-16

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड, राँची।

विषय :– **मेदिनीनगर वन प्रमंडल अन्तर्गत अमानत बराज से कैनाल निर्माण हेतु 127.85 हे0 वन भूमि अपयोजन के संबंध में।**

प्रसंग :– **(i) क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर का पत्रांक 2985 दिनांक 02.11.2015**
(ii) क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर का पत्रांक 270 दिनांक 25.01.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू मेदिनीनगर के उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र (i) **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा मेदिनीनगर वन प्रमंडल के अन्तर्गत अमानत बराज से 90 किलोमीटर कैनाल निर्माण हेतु 127.85 हे0 अधिसूचित वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव MoEF की Website पर Online अपलोड करते हुए एवं उसकी हार्ड कॉपी पाँच प्रतियों में प्राप्त हुआ था। इसके क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1245 दिनांक 30.11.2015 द्वारा यह पृच्छा की गयी थी कि प्रस्तावित 127.85 हे0 वनभूमि के अतिरिक्त सन्निहित 481.189 हे0 गैर वनभूमि जंलग–झाड़ी किस्म का है अथवा नहीं? इस बिन्दु को स्पष्ट कराते हुए लैण्ड सिड्यूल की मांग क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर से की गई थी। उक्त के आलोक में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर के उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र (ii) **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा प्रतिवेदित किया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा फार्म–A पार्ट–I में प्रस्तावित 127.85 हे0 वनभूमि के अतिरिक्त सन्निहित 481.189 हे0 गैर वनभूमि को **संशोधित कर 439.24 हे0 कर दिया गया है। संशोधित 439.24 हे0 गैर वनभूमि का ग्रामवार Detailed land schedule में जंगल–झाड़ी किस्म का जमीन सन्निहित नहीं है। (संशोधित फार्म–A पार्ट–I संलग्न है।)**

विषयगत प्रस्ताव के संबंध में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार निम्नलिखित विवरण प्रतिवेदित किया जाता है :–

1. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विहित प्रपत्र Form 'A' Part I में परियोजना से संबंधित सभी विवरण अंकित किए गए हैं।

D:\SUNIL\Proposal (A)\Amanat Project\Kainal Nirman (127.85 ha.), 05.11.15

2. Justification for location of the forest area प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

3. National Committee of Environment Planning की प्रति संलग्न है।

4. Part-II में वन प्रमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमंडल का प्रतिवेदन/मंतव्य अंकित है। साथ ही स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।

5. Part-III में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर की अनुशंसा अंकित है।

6. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर का अनुशंसा Part III A में अंकित है एवं स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

7. प्रस्ताव के साथ 1:50,000 स्केल के टोपोशीट पर प्रस्तावित वन भूमि का रेखाकंन लाल रंग से दर्शाया गया है।

8. वन प्रमंडल से संबंधित प्रस्ताव के साथ लागत लाभ विश्लेषण संलग्न है।

9. FRA, 2006 के तहत् संबंधित दावा संबंधी प्रक्रिया पूर्ण करने की सूचना तथा तत्संबंधी उपायुक्त, पलामू द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न है।

10. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित वन भूमि के विरूद्ध 323.57 एकड़ (131.00 हे0) उपलब्ध करायी गयी वन भूमि का विवरण प्रतिवेदन एवं दस वर्षीय क्षतिपूरक वनरोपण योजना प्राक्कलन संलग्न है।

11. प्रस्तावित वन भूमि पर प्रजातिवार अवस्थित वृक्षों की गणना सूची संलग्न है।

12. क्षतिपूरक वनरोपण तथा NPV राशि का भुगतान करने की वचनबद्धता प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गयी है।

13. अपयोजित होने वाले वन भूमि एवं क्षतिपूरक वनरोपण हेतु भूमि का कैडेस्ट्रल मानचित्र पर संलग्न है।

14. प्रस्तावित वन भूमि की विस्तृत विवरणी PF wise/Plot wise रकबा निम्नवत् है :–

Details of Forest land PF wise/Plot wise to be Diverted

Sl. No.	PF	Breakup & Forest Land Forest Land (ha.)	Plot No.	Area in ha.
1	2	3	4	5
1	Sildiliya Khurd	6.51	31	2.32
			854	4.19
2	Sildiliya Kala	2.39	45	0.97
			1305	1.42
3	Gorwatand	10.8	43	6.66
			44	4.14
4	**Bajalpur**	**8.22**	**336**	**2.51**
			1721	**0.41**

(7)

			1723	2.43
			43	2.87
5	Panchrukhiya	7.85	176	7.85
6	Lalgar	3.53	141	2.23
			3	1.3
7	Dhuma	15.38	KRF	15.38
8	Sewati	5.91	719	5.91
9	Saraidih	6.87	20	6.31
			13	0.16
			39	0.16
			30	0.24
10	Chilhoi	3.85	1	3.85
11	Bhalugari	7.61	3	2.73
			4	4.88
12	Tariyan	8.18	9	8.18
13	Sonpurwa	5.69	79	4.89
			62	0.8
14	Kanaudi	8.54	91	4.57
			92	3.97
15	Boradah	7.2	14	2.46
			16	4.74
16	Bhararkala	0.49	1135	0.49
17	Chetma	12.9	1214	1.1
			1215	0.89
			1218	0.77
			1234	0.12
			1234	0.57
			1236	0.4
			1237	3.16
			1238	0.16
			1255	1.42
			1317	0.12
			1318	0.12
			1321	0.32
			1322	2.3
			1323	0.89
			1324	0.28
			1324	0.28
18	Imlikhas	5.93	1769	0.2
			1773	5.73
	G.Total			127.85

15. अद्योहस्ताक्षरी का अनुशंसा Part-IV पर संलग्न है, इसे Online Upload कर दिया गया है।

प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है।

(6)

अतः प्रस्ताव एवं गैर वनभूमि का ग्रामवार Detailed land schedule की ~~चार-चार~~ तीन-तीन प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि सैद्धांतिक सहमति हेतु अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

10/02/2016

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

10.02.16

D:\SUNIL\Proposal (A)\Amanat Project\Kainal Nirman (127.85 ha.), 05.11.15

104

पत्रांकः– 19-Mining-07 /2015---706

कार्यालय : क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर।

प्रेषक,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
पलामू, मेदिनीनगर।

सेवा में,

प्रधान सचिव
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड, रांची ।

मेदिनीनगर, दिनांक 03/03/2016

विषय :– मेदिनीनगर वन प्रमण्डल अन्तर्गत अमानत बराज से कैनाल निर्माण हेतु 127.85 हे0 वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि मेदिनीनगर वन प्रमण्डल अन्तर्गत अमानत बराज योजना अन्तर्गत नहर निर्माण से संबंधित 127.85 हे0 वन भूमि अपयोजन हेतु वांछित वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत उपायुक्त, पलामू के स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र एवं तत्संबंधी अनुलग्नक सहित 3 प्रतियों में पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेत्तर कार्रवाई समर्पित की जा रही है ।

अनु0– यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

3/3/16

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
पलामू, मेदिनीनगर।

205/
09/3/16